रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266389
CG-DL-E-25092025-266389

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2025/ भाद्र 27, 1947
No. 606] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2025/BHADRA 27, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,18 सितंबर, 2025

सा.का.नि. 674(अ).--- केंद्र सरकार का लक्ष्य वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली (इसके पश्चात् आईपीएमएस के रूप में संदर्भित) का विकास करना है, जिसे एतद् पश्चात आईपीएमएस कहा जाएगा। आईपीएमएस कीटनाशी मूल्य श्रृंखला में मौजूदा अंतराल और समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह कीटनाशकों की आपूर्ति श्रृंखला की तत्काल निगरानी को सक्षम बनाने में भारत सरकार के प्रयासों में सहायता करेगा;

और, राष्ट्रीय स्तर पर आईपीएमएस के विकास का प्रस्ताव 65वीं केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड की बैठक में पेश किया गया है। केंद्र सरकार की यह राय है कि यदि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिससे केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड के साथ परामर्श किए गए प्रस्ताव के अनुसार नियम बनाना आवश्यक हो गया है;

केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम् का प्रस्ताव करती है, उक्त

धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिनों की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो तीस दिनों की पूर्वोक्ति अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेपों और सुझावों को संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली 110001 अथवा muktanand.ias08@nic.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971, इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में संदर्भित, निम्नलिखित में संशोधन किया जाएगा, अर्थात्-

(1) नियम 9 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) किसी भी कीटनाशक के निर्माण के लिए लाइसेंस देने के लिए लाइसेंसिंग अधिकारी को डिजिटल रूप में [फॉर्म II] में आवेदन किया जाएगा और प्रत्येक कीटनाशक के लिए दो हजार रुपये का शुल्क और उन सभी कीटनाशकों के लिए जिनके लिए लाइसेंस का आवेदन किया गया है अधिकतम बीस हजार रुपये का शुल्क देना होगा ।”

(2) नियम 10 के उप-नियम (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(1) कीटनाशकों को बेचने, स्टॉक करने या विक्री के लिए प्रदर्शित करने या वितरित करने के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन लाइसेंसिंग अधिकारी को डिजिटल रूप में [फॉर्म II] किया जाएगा और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट शुल्क के साथ संलग्न किया जाएगा।"

(3) नियम 15 में,

(i) उप-नियम (2) में, वाक्यांश “कीटनाशक के अनुसार, एक रजिस्टर में (या तो भौतिक रूप में या डिजिटल रूप में) दर्ज किया जाएगा" को “डिजिटल रूप में कीटनाशक के अनुसार दर्ज किया जाएगा" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-नियम (3) में, वाक्यांश “(या तो भौतिक रूप में या डिजिटल रूप में)” को “डिजिटल रूप में" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्रत्येक निर्माता या आयातक तकनीकी ग्रेड कीटनाशकों और फार्मूलेशन कीटनाशकों की विक्री, निर्माण या आयात को डिजिटल रूप में बनाए रखेगा और लाइसेंसिंग अधिकारी को मासिक विवरण या रिटर्न महीने की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर क्रमशः फॉर्म III का परिशिष्ट डी 1 और फॉर्म III का परिशिष्ट डी 2 में जमा करेगा।"

(4) नियम 24 में;

(i) उप नियम (3) में, शब्द "तीन प्रतियों में" को हटा दिया जाएगा।

(ii) उप-नियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम (4) डाला जाएगा:-

"(4) उप-नियम (1) और (3) में बताए अनुसार रिपोर्ट की प्राप्ति और आपूर्ति डिजिटल रूप में की जाएगी।"

(5) नियम 25 में, उप-नियम 25 (2) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान रखे जाएंगेः-

"परन्तु यह कि शुल्क का भुगतान डिजिटल रूप में किया जा सकता है।"

(6) नियम 27 के उप-नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6) नमूने लेने और स्टॉक जब्त करने सहित अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में उनके द्वारा किए गए सभी निरीक्षणों और की गई कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना और ऐसे रिकॉर्ड को लाइसेंसिंग अधिकारी को प्रस्तुत करना।

इसके अतिरिक्त, सभी ऐसी निरीक्षण कार्यवाहियों और उसके द्वारा किए गए कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड 24 घंटे के भीतर बनाया जाएगा, जो उसने नियम 30, 32 और 33 के तहत या अधिनियम या नियमों में निहित किसी भी प्रावधान के अनुसार अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भौतिक फॉर्म का उपयोग करके किया हो।"

(7) नियम 30 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"30. स्टॉक न नष्ट करने का आदेश का प्रारूप – कीटनाशक निरीक्षक द्वारा किसी व्यक्ति को उसके पास मौजूद किसी भी स्टॉक को न नष्ट करने का आदेश फॉर्म V (क) में दिया जाएगा, जो भौतिक या डिजिटल रूप में हो सकता है।"

(8) नियम 32 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"32. जब्त किए गए कीटनाशक का रसीद का प्रारूप – कीटनाशक निरीक्षक द्वारा किसी भी जब्त किए गए कीटनाशक के स्टॉक की रसीद फॉर्म V(ख) में दी जाएगी, जो भौतिक या डिजिटल रूप में हो सकती है।"

(9) नियम 33 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"33. नमूने लेने के उद्देश्य से सूचनापत्र का प्रारूप – जब कोई निरीक्षक परीक्षण या विश्लेषण के उद्देश्य से किसी कीटनाशक का नमूना लेता है, तो वह ऐसे उद्देश्य की सूचना लिखित रूप में फॉर्म V(ग) में उस व्यक्ति को देगा जिससे उसने नमूना लिया हो, जो भौतिक या डिजिटल रूप में हो सकती है।"

(10) नियम 34 में, उप-नियम 34(1) के बाद निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा;

"प्रावधान है कि परीक्षण या विश्लेषण के लिए सूचनापत्र का प्रारूप डिजिटल रूप में जारी किया जाएगा।"

(11) उक्त नियमों में, "प्रथम अनुसूची" में, (i) "फॉर्म III के लिए परिशिष्ट बी, सी1, सी2, डी 1 और डी2" की जगह निम्नलिखित परिशिष्ट बी, सी1, सी2, डी1 और डी2 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

परिशिष्ट ख

कीटनाशकों की बिक्री/वितरण हेतु रजिस्टर (तकनीकी एवं सूत्रीकरण (वाणिज्यिक कीट नियंत्रण कार्यों में प्रयुक्त कीटनाशकों सहित)

(कीटनाशक-वार अभिलेख रखा जाना है)

[नियम 15 का उपनियम (2) देखें]

क्रम सं.	कीटनाशक की प्राप्ति की तिथि	आपूर्तिकर्ता/वितरक का नाम		आपूर्तिकर्ता/वितरक का नाम, यदि कोई हो, जिसके माध्यम से प्राप्त हुआ	बैच संख्या	निर्माण की तिथि	समाप्ति तिथि	चालान विवरण, संख्या, तिथि और आपूर्ति की मात्रा (मीट्रिक टन) जिसके माध्यम से आपूर्ति प्राप्त हुई, मात्रा	(मीट्रिक टन)					बिल संख्या (नाम और पता, जिसे बेचा/वितरित किया गया, तिथि और मात्रा/बेचा/वितरित)	टिप्पणियाँ
		घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय						पिछला शेष, यदि कोई हो	प्राप्त हुआ	प्राप्त/बेचा/वितरित		शेष		
											घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय			

दिनांक:

हस्ताक्षर
कंपनी की मुहर

रिकॉर्ड से सत्यापित किया गया और पाया गया कि उपरोक्त जानकारी सही है।

कीटनाशक निरीक्षक के हस्ताक्षर, दिनांक और मुहर सहित

परिशिष्ट ग1

तकनीकी श्रेणी के कीटनाशकों का स्टॉक रजिस्टर

(कीटनाशक के अनुसार बनाए रखा जाना है)

[नियम 15 का उप-नियम (3) देखें]

(मात्रा मीट्रिक टन में)

दिनांक	आरंभिक शेष	राशि			कुल मात्रा	बेची गई मात्रा	निर्माण हेतु प्रयुक्त मात्रा				अंतिम शेष
		आयातित (a)	निर्मित (b)	घरेलू खरीद (c)	(a+b+c)		निर्मित (e)	आयातित (f)	घरेलू खरीद (g)	कुल (e+f+g)	(a+b+c)-(e+f+g)

परिशिष्ट ग2

तैयार कीटनाशक का स्टॉक रजिस्टर

(कीटनाशक के अनुसार बनाए रखा जाना है)

[नियम 15 का उप-नियम (3) देखें]

(मात्रा मीट्रिक टन में)

सं.	आरंभिक शेष	तकनीकी श्रेणी के कीटनाशक	निर्माण हेतु प्रयुक्त कुल तकनीकी श्रेणी (a+b+c)	निर्माण हेतु प्रयुक्त कुल तकनीकी की श्रेणी	तकनीकी श्रेणी के कीटनाशकों का शेष (a+b+c)	फॉर्मूलेशन का प्रारंभिक शेष	फॉर्मूलेशन की मात्रा			निर्माण की मात्रा कुल निर्मित मात्रा (d+e+f)	बेची गई मात्रा		अंतिम शेष
							आयातित (d)	निर्मित (e)	घरेलू रूप से क्रय (f)		घरेलू (g)	अंतर्राष्ट्रीय (h)	

		आयातित	निर्मित	घरेलू रूप से क्रय		आयातित	निर्मित	घरेलू रूप से क्रय									

परिशिष्ट डी1

[नियम 15 का उप-नियम (4) देखें]

तकनीकी ग्रेड कीटनाशकों (निर्मित / आयातित / घरेलू रूप से खरीदे गए) का मासिक रिटर्न / विवरण ……….. से ……………. तक की अवधि के लिए

क्रम संख्या	कीटनाशक का नाम	बैच संख्या r	समाप्ति तिथि	कुल मात्रा का विवरण (मीट्रिक टन)			फॉर्मूलेशन के लिए उपयोग की गई मात्रा (मीट्रिक टन)	बेची गई मात्रा (मीट्रिक टन) क्रेता का नाम, पता और लाइसेंस संख्या सहित	
				आयातित	निर्मित	घरेलू स्तर पर खरीदा गया		घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय

सत्यापन

मैं ………………………………….. एतद्वारा सत्यापित करता/करती हूँ कि ऊपर बताई गई बातें अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ………………………………….. (पदनाम) के रूप में अपनी क्षमता में इस कथन को सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। यदि दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो अधिनियम/नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत मुझे उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

हस्ताक्षर ……………………..

नाम ………………………..

मुहर ………………………..

परिशिष्ट डी2

[नियम 15 का उप-नियम (4) देखें]

तैयार कीटनाशकों (निर्मित/आयातित/घरेलू रूप से खरीदे गए) के लिए मासिक रिटर्न/विवरण अवधि …….. से …….. तक

क्रम संख्या	कीटनाशक का नाम (सूत्रीकरण)	बैच संख्या	समाप्ति तिथि	सूत्रीकरण हेतु प्रयुक्त तकनीकी श्रेणी के कीटनाशक की कुल मात्रा का विवरण (मीट्रिक टन)			सूत्रीकरण की कुल मात्रा (मीट्रिक टन)			बेची गई मात्रा (मीट्रिक टन)) क्रेता का नाम, पता और लाइसेंस संख्या सहित		
							निर्मित	आयातित	घरेलू रूप से क्रय किया गया	निर्मित सूत्रीकरण	अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू रूप से क्रय किया गया

सत्यापन

मैं ………………………………….. एतद्वारा सत्यापित करता/करती हूँ कि ऊपर बताई गई बातें अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ………………………………….. (पदनाम) के रूप में अपनी क्षमता में इस कथन को सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। यदि दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो अधिनियम/नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत मुझे उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

हस्ताक्षर …………………..
नाम ……………………….
मुहर ……………………….

[फा. सं. 12032/02/2023-पीपी-।]

मुक्तानंद अग्रवाल,संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1650 (अ) दिनांक 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए तथा इसमें सा.का.नि. 567 (अ) दिनांक 21 अगस्त, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, 18th September, 2025

G.S.R.674 (E).—The Central Government aims for development of Integrated Pesticide Management System (herein after referred to as IPMS) at National level through the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India. The IPMS will help overcome the current gaps and issues faced in the pesticide value chain. Further, it will support the efforts of Government of India by enabling real-time monitoring of the supply chain of insecticides;

Whereas, the proposal for the development of IPMS at National level has been presented in the 65th Central Insecticides Board meeting. The Central Government is of the opinion that circumstances have arisen, which render it necessary to make the rules as per the proposal consulted with the Central Insecticide Board;

The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

The Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the draft rules before the expiry of the aforesaid period of thirty days shall be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rule may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 or through email at muktanand.ias08@nic.in.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971, hereinafter referred to as the said rules, the following shall be amended, namely-

(1) For sub-rule (1) of rule 9, following shall be substituted namely :-

"(1) Application for the grant of a licence to manufacture any insecticide shall be made in digital form [Form II] to the licensing officer and shall be accompanied by a fee of rupees two thousand for every insecticide and a maximum of rupees twenty thousand for all insecticides for which the licence is applied."

(2) For sub-rule (1) of rule 10, following shall be substituted namely :-

"(1) Applications for the grant of a licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticides shall be made in digital form [Form II] to the licensing officer and shall be accompanied by the fees specified in sub-rule (2)."

(3) In rule 15,

(i) In Sub-rule (2), the word phrase "shall be entered insecticide wise, in a register (either in physical form or digital Form)" shall be substituted by "shall be made insecticide wise in digital form."

(ii) In Sub-rule (3), the word phrase "(either in physical from or digital Form)" shall be substituted by "in digital form".

(iii) For Sub-rule (4), following shall be substituted namely :-

"Every manufacturer or importer shall maintain in digital form of such sale, manufacture or import of technical Grade Insecticide and formulated Insecticide and submit the monthly statement or return to the licensing officer, in Appendix D1 to Form III and Appendix D2 to Form III respectively within 15 days from the closing of the month."

(4) In Rule 24;

(i) In sub rule (3), the word "in triplicate" shall be omitted.

(ii) After Sub-rule (3), the following sub-rule (4) shall be inserted;

"(4) The receipt and supply of report as stated in sub-rule (1) and (3) shall be made in digital form."

(5) In Rule 25, after Sub-rule 25(2), the following proviso shall be inserted ;

"Provided further, the fee may be paid in the digital form."

(6) For sub-rule (6) of rule 27, following shall be substituted namely :-

"(6) to maintain a digital record of all inspections made and action taken by him in the performance of his duties including the taking of samples and seizure of stocks and to submit such record to the licensing officer.

Further, a digital record shall be maintained within 24 hours of all such inspections made and action taken by him using physical Form in the performance of his duties prescribed under Rules 30, 32 and 33 or anything contained in the Act or the Rules."

(7) For Rule 30, following shall be substituted namely:-

"**30. Form of order not to dispose of stock.-** An order by the Insecticide Inspector requiring a person not to dispose of any stock in his possession shall be in Form V(A) either in physical or digital form."

(8) For Rule 32, following shall be substituted namely:-

"**32. Form of receipt for seized insecticide.-** A receipt by an Insecticide Inspector for the stock of any insecticide seized shall be in Form V(B) either in physical or digital form."

(9) For Rule 33, following shall be substituted namely:-

"**33. Form of intimation for purpose of taking samples.-** Where an Inspector takes a sample of an insecticide for the purpose of test or analysis, he shall intimate such purpose in writing in Form V(C) to the person from whom he takes it either in physical or digital form."

(10) In Rule 34, after Sub-rule 34(1), the following proviso shall be inserted;

"Provided form of intimation for test or analysis shall be issued in the digital form."

(11) In the said rules, in the "FIRST SCHEDULE", (i) for the "APPENDIX B, C1, C2, D1 and D2 to the FORM III, the following APPENDIX B, C1, C2, D1 and D2 shall be substituted, namely:-

Appendix B

REGISTER FOR SALE/DISTRIBUTION OF INSECTICIDES (TECHNICAL AND FORMULATION (INCLUDING INSECTICIDES USED IN COMMERCIAL PEST CONTROL OPERATIONS)

(RECORD TO BE MAINTAINED INSECTICIDE-WISE)

[See sub rule (2) of rule 15]

S.No	Date of receipt of the insect-cide	Name of the manufac-turer from whom received		Name of supplier/ distributor, if any, through whom received	Batch No	Dt of manufacture	Date of expiry	Invoice details, number, date and quantity supply received (Metric tonnes) vide which supply received	Quantity (Metric tonnes)					Bill number(name and address to whom sold/ distributed date and quantity/ sold/ distributed)	Remarks
		Domestic	International						Previous balance if any	Received	Sold/ distributed		Balance		
											Domestic	International			

Date:

Signature

Company's seal

Verified with the record and found that the above information is correct.

Signature with date and seal of the Insecticide Inspector

APPENDIX C1

STOCK REGISTER OF TECHNICAL GRADE INSECTICIDE

(To be maintained Insecticide wise)

[See sub-rule (3) of rule 15]

(Quantity in metric tonnes)

Date	Opening balance	Quantity			Total quantity (a+b+c)	Quantity sold	Quantity utilised for formulation				Closing Balance (a+b+c)-(e+f+g)
		imported (a)	manufactured (b)	Domestic purchase (c)			Manufacture (e)	imported (f)	Domestically purchased (g)	Total (e+f+g)	

APPENDIX C2

STOCK REGISTER OF FORMULATED INSECTICIDE

(To be maintained insecticide-wise)

[See sub-rule (3) of rule 15]

(Quantity in metric tonnes)

.No	Opening balance	Technical grade insecticide	Total technical grade used for formulation (a+b+c)	Total Technical grade used for formulation	Balance of Technical grade insecticides (a+b+c)	Opening balance of formulations	Quantity formulated			Total formulated quantity (d+e+f)	Quantity sold		Closing Balance
							Manufactured	imported	Domestically purchased		Domestic	Internati	

											(d)	(e)	(f)		(g)	onal (h)	
		imported	manufactured	Domestic purchased		imported	manufactured	Domestic purchased									

APPENDIX D1

[See sub rule (4) of rule 15]

MONTHLY RETURN / STATEMENT OF TECHNICAL GRADE INSECTICIDES (MANUFACTURED / IMPORTED/ DOMESTICALLY PURCHASED) FOR THE PERIOD……….. TO …………….

Sl. No	Name of the insecticide	Batch number	Date of expiry	Details of total Quantity (Metric Tonnes)			Quantity utilized for formulations (Metric Tonnes)	Quantity sold (Metric Tonnes) with Name, address and licence number of purchaser	
				imported	Manufactured	Domestically Purchased		Domestic	International

VERIFICATION

I………………………………. do hereby verify that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief based on information derived from the records. I further declare that I am competent to verify this statement in my capacity as …………………………………… (Designation). In case the information is found to be false, I shall be held responsible under relevant provisions of the Act / Rules.

Signature……………………..

Name…………………………

Seal…………………………...

APPENDIX D2

[See sub rule (4) of rule 15]

MONTHLY RETURN/ STATEMENT FOR FORMULATED INSECTICIDES (MANUFACTURED/IMPORTED/ DOMESTICALLY PURCHASED) FOR THE PERIOD…….. TO ……..

Sl. No	Name of the insecticide Formulation	Batch number	Date of expiry	Details of total Quantity of technical grade insecticide used for formulation (Metric Tonnes)			Total Quantity of formulation (Metric Tonnes)			Quantity sold (Metric Tonnes) with Name, address and licence number of purchaser		
							manufactured	imported	Domestically purchased	Manufactured formulation	International	Domestically purchased

VERIFICATION

I………………………………… do hereby verify that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief based on information derived from the records. I further declare that I am competent to verify this statement in my capacity as …………………………………… (Designation). In case the information is found to be false, I shall be held responsible under relevant provisions of the Act / Rules.

Signature……………………..

Name…………………………

Seal…………………………...

[F. No. 12032/02/2023-PP-I]

MUKTANAND AGRAWAL,Jt. Secy. (Plant Protection)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and was last amended *v*ide G.S.R 567 (E) dated 21st August, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.25 14:24:52 +05'30'